

कार्यालय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज।

कूटेशन सूचना

आज दिनांक 22/08/2025 समय अपराह्न 01:30 बजे चयन समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव प्रथम अपर जिला जज कासगंज, श्री धनंजय कुमार मिश्रा विशेष न्यायाधीश अनु. जाति एवं अनु. जन जति अधिनियम कासगंज, श्री विजय कुमार अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज एवं श्री खान जीशान मसूद सिविल जज (सी.डि.), कासगंज समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

चयन समिति के समक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए०डी०आर० केन्द्र कासगंज में तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक के दो पद जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग मोड पर भर्ती के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के बताया कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एडीआर केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में तृतीय श्रेणी कर्मियों को जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग में चयन किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश उ०प्र० श्रम विभाग द्वारा जारी कुशल श्रेणी के पारिश्रमिकों को कुल देय मासिक बेसिक

बेसिक 1/26 के अनुसार

13546.78

13 प्रतिशत ई०पी०एफ०

1761.0814

3.25 प्रतिशत ई०एस०आई०

440.27035

कुल योग

15748.13175

इस पर सर्विस चार्ज 3.85 प्रति०

606.303

जी०एस०टी० 18 प्रतिशत

2834.663715

महायोग

19189.10

01 साल का योग

230269.20

02 कर्मचारियों का 01 साल योग-

460538.40

कुल ई०पी०एफ० की कटौती 13 प्रतिशत + 12 प्रतिशत (बेसिक पर कटौती) = 3386.70

खाते में आहरित योग्य राशि

13546.78-1625.61=11921.17

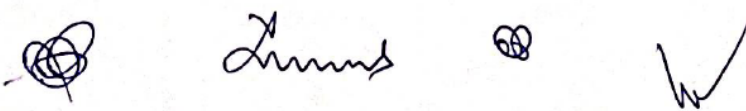
के अनुसार किया जाना है।

1-कर्मचारियों की बेसिक से 12 प्रतिशत ई०पी०एफ० काटा जाएगा।

2-सेवाओं का क्रय शासनादेश के पैरा-06, 30, 32, 34, 35, 37 व 40 से 45 के अनुसार किया जाएगा।

3-कर्मचारियों से सेवाएं 15 सितम्बर, 2025 से 01 वर्ष तक के अनुबन्ध पर ली जाएंगी।

4-01 मार्च, 2025 से 14 सितम्बर, 2026 तक के मानदेय का भुगतान शासन द्वारा आदेश जारी होने पर किया जाएगा।



योग्यता 12 वीं, हिन्दी(25 शब्द प्रति मिनट) व इंग्लिश(30 शब्द प्रति मिनट) टाइपिंग व CCC कम्प्यूटर डिप्लोमा।

अतः जेम पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी जो निम्न शर्तों को पूरा करती हो जैसे- फर्म का 1-जीएसटी पंजीकरण हो 2-ईपीएफ पंजीकरण हो 3-ईएसओ का पंजीकरण हो 4-सेवा प्रायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो 5-वित्तीय आडिट हुआ है या नहीं तथा सेवा प्रदाता फर्म के मालिक का जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हो आदि होना आवश्यक है।

इच्छुक पंजीकृत फर्म न्यायिक अधिष्ठान कासगंज के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के कार्यालय में उपरोक्त तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक के दो पद हेतु अपनी फर्म का कुटेशन पंजीकृत डाक अथवा स्वयं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय, कासगंज दिनांक 01/09/2025 तक प्राप्त करा सकती है

1- कुटेशन बंद लिफाफे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के कार्यालय में दिनांक 01/09/2025 तक (कार्यालय समय 10:00 बजे से शाम 03:00) तक अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।

2- कुटेशन दिनांक 01/09/2025 को सायंकाल 04:45 बजे चयन समिति जनपद न्यायालय, कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।

3- किसी भी कुटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को होगा।

4- किसी भी कुटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5- कुटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7- कुटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, कासगंज में होगा।

8- कुटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी स्थिति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- जिला सूचनाधिकारी, कासगंज को **G.O.No. 562/-उन्नीस-2-2007-1007 (T.C)**

दिनांकित **04/07/2007** के अनुरूप समस्त मुख्य समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रसारित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

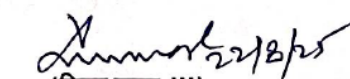
2- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

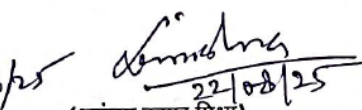
3- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।

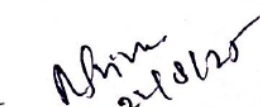
4- जनपद न्यायालय कासगंज की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

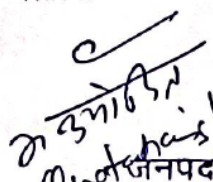
उक्त कुटेशन रिपोर्ट संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के समक्ष ससम्मान प्रेषित हो।

  
(खान जीशान मसूद)  
सदस्य चयन समिति  
सिविल जज (सी.डि.),  
कासगंज।

  
(विजय कुमार-III)  
सदस्य चयन समिति/सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
कासगंज।

  
(धनंजय कुमार मिश्रा)  
सदस्य चयन समिति/  
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट,  
कासगंज।

  
(रमेश कुमार श्रीवास्तव)  
सदस्य चयन समिति/  
प्रथम अपर जिला जज,  
कासगंज।

  
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
कासगंज